दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

रि.या.(सि.) 8756/2011

निर्णय तिथि: 23 अक्टूबर, 2013

इंद्राज सिंह .....याचिकाकर्ता

के द्वारा: श्री अरुण श्रीवास्तव, अधिवक्ता

बनाम

भारत संघ और अन्य .....प्रत्यर्थीगण

के द्वारा: सुश्री बरखा बब्बर,अधिवक्ता

कोरम:
माननीय न्यायमूर्ति सुश्री गीता मित्तल
माननीय न्यायमूर्ति सुश्री दीपा शर्मा

<u>न्या. गीता मित्तल (मौखिक)</u>

1. इस मामले में याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय से यह निर्देश देने का अनुरोध किया है कि वह एक जांच न्यायालय आयोजित करे, ताकि यह जांच की जा सके कि याचिकाकर्ता की हालत उसकी सेवा शर्तों के कारण है या बिगड़ गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि दिनांक 26 जनवरी, 2001 से 11 फरवरी, 2001 के बीच त्रिपुरा में तैनात होने के दौरान याचिकाकर्ता का इलाज नलकटा स्थित बटालियन मुख्यालय में पीएफ मलेरिया के संदिग्ध मामले के रूप में किया गया था। दिनांक 11 फरवरी, 2001 को छुट्टी मिलने पर उसे दो दिन

आराम करने की सलाह दी गई। याचिकाकर्ता ने हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है कि उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ और दिनांक 20 फरवरी, 2001 को उसने "स्व-उपचार" के लिए 60 दिनों की अर्जित छुट्टी के लिए आवेदन किया था। इस आवेदन को कमांडेंट के साथ-साथ डॉ. बी.एन.दास ने भी संसाधित किया था। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि उसे छुट्टी लेने और किसी अच्छे अस्पताल में इलाज कराने की सलाह दी गई थी, क्योंकि याचिकाकर्ता के पदस्थापन स्थान पर कोई अच्छी सुविधा उपलब्ध नहीं थी। याचिकाकर्ता को यह भी सलाह दी गई थी कि वह अकेले बीमार छुट्टी पर अपने स्टेशन पर न जाए और उसे अपने स्टेशन के किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करने की सलाह दी गई जो उसके साथ उसके घर तक आ सके। उसने हमारे सामने दावा किया है कि जयपुर के रहने वाले हैड कांस्टेबल बुधराम को याचिकाकर्ता ने बुलाया था और वह उसके साथ उसके मूल निवास स्थान तक गया था। याचिकाकर्ता ने कहा कि अर्जित छुट्टी दिनांक 8 मार्च, 2001 को डॉ. बी.एन.दास के हस्तक्षेप के बाद ही मंजूर की गई थी। याचिकाकर्ता का तर्क है कि इन सभी परिस्थितियों से यह स्पष्ट रूप से साबित होता है कि याचिकाकर्ता को बीमारी वास्तविक ड्यूटी के दौरान हुई और जब वह सलाह के अनुसार छुट्टी पर गया तो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी।

2. हैड कांस्टेबल बुधराम के साथ याचिकाकर्ता दिनांक 11 मार्च, 2001 को ही अपने घर पहुँच पाया। बिना किसी देरी के दिनांक 13 मार्च, 2001 को याचिकाकर्ता को एसएमएस अस्पताल, जयपुर ले जाया गया क्योंकि उसे तेज सिरदर्द और रीढ़ की हड्डी में दर्द के साथ-साथ मूत्र मार्ग में रुकावट महसूस हो रही थी। याचिकाकर्ता ने बताया कि वह दो दिनों तक बेहोश रहा और उसके बाद उसके शरीर के निचले आधे हिस्से में लकवा मार गया। उसके बाद भी यह स्थिति बनी रही।

3. दिनांक 19 अप्रैल, 2001 को याचिकाकर्ता की ओर से यूनिट को छुट्टी के लिए आवेदन भेजा गया। दिनांक 6 अगस्त, 2001 को याचिकाकर्ता को जयपुर से लाया गया और दिनांक 6 अक्टूबर, 2002 तक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), दिल्ली में उसका इलाज चला।

4. दिनांक 22 नवंबर, 2005 को याचिकाकर्ता ने अपनी बीमारी के बारे में जांच और सीमा प्रहरी बीमा योजना (एसपीबीवाई) के साथ-साथ हार्ड एरिया एकमुश्त अनुदान के भुगतान के लिए आवेदन किया।

5. दिनांक 14 अगस्त, 2006 को पारित आदेश द्वारा जांच न्यायालय का निर्देश दिया गया था। दिनांक 1 नवंबर, 2006 को उप कमांडेंट श्री एम.पी.एस. राणा द्वारा जांच न्यायालय का संचालन किया गया था।

6. याचिकाकर्ता का कहना है कि यह जांच गलत तरीके से की गई थी और इस अनुमान के आधार पर आगे बढ़ाई गई थी जैसे कि याचिकाकर्ता फुफ्फुसीय तपेदिक से पीड़ित था जो कि गलत था।

7. इस संबंध में, हमारा ध्यान दिनांक 7 मई, 2002 के पत्र के संदर्भ में याचिकाकर्ता की स्थिति के संबंध में डॉ. (प्रो.) डी.एस. माथुर द्वारा प्रस्तुत दिनांक 18 जून, 2002 की रिपोर्ट की ओर आकर्षित किया गया है। रिपोर्ट के अवलोकन से पता चलता है कि डॉ. डी.एस. माथुर ने याचिकाकर्ता की बीमारी को "ट्यूबरकुलर एराक्नोइडाइटिस" के मामले के रूप में निदान किया था। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि याचिकाकर्ता पिछले डेढ़ साल से एंटी ट्यूबरकुलर उपचार पर था।

8. ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्यर्थीगण ने दिनांक 14 अगस्त, 2006 को एक आदेश पारित कर एक अन्य एक सदस्यीय जांच न्यायालय का भी निर्देश दिया था। दिनांक 1 नवंबर, 2006 को श्री एम.पी.एस. राणा, उप कमांडेंट द्वारा ऐसा जांच न्यायालय आयोजित किया गया था।

9. याचिकाकर्ता ने शिकायत की है कि संबंधित डॉक्टर, जिन्होंने उसे पहली बार देखा था, अर्थात् डॉ. बी.एन. दास की जांच नहीं की गई। उन्होंने यह भी बताया कि याचिकाकर्ता के साथ त्रिपुरा से जयपुर आए हैड कांस्टेबल बुधराम की भी जांच नहीं की गई। इन महत्वपूर्ण गवाहों की जांच किए बिना, प्रत्यर्थी

इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि याचिकाकर्ता की बीमारी उसकी सेवा की स्थिति के कारण नहीं थी और उसके कारण जो विकलांगता हुई, वह सरकारी ड्यूटी के दौरान नहीं हुई थी।

10. यह उल्लेखनीय है कि प्रत्यर्थीगण के अनुसार, याचिकाकर्ता ने दिनांक 6 अक्टूबर, 2002 से दिनांक 2 नवंबर, 2004 के बीच कंपोजिट अस्पताल, टेकनपुर में इलाज कराया था। याचिकाकर्ता ने दिनांक 3 जनवरी, 2005 को बटालियन मुख्यालय, 126, बीएसएफ, नलकटा को शारीरिक रूप से रिपोर्ट किया था।

11. जांच न्यायालय की राय में यह दर्ज किया गया है कि इस बात का कोई भौतिक साक्ष्य नहीं है कि उनकी विकलांगता सरकारी ड्यूटी के दौरान हुई थी, इसलिए यह माना गया कि उन्हें सीमा प्रहरी बीमा योजना या हार्ड एरिया एकमुश्त अनुदान का लाभ प्रदान करने का कोई सवाल ही नहीं उठता।

12. तत्काल रिट याचिका में प्रार्थना इस आशय की है कि जांच न्यायालय में चूक को देखते हुए जैसा कि ऊपर देखा गया है और रिट याचिका में उल्लेख किया गया है, प्रतिवादीगण को याचिकाकर्ता को उसके उपचार और बीमारी का अभिलेख पेश करने और महत्वपूर्ण गवाहों की जांच करने के बाद फिर से जांच न्यायालय आयोजित करने का निर्देश दिया जाना चाहिए। हमारा मानना है कि इस तरह की जांच याचिकाकर्ता के दावे पर प्रभावी ढंग से निर्णय लेने के लिए

आवश्यक है, जिसमें पूर्वोक्त राशियों के अनुदान के साथ-साथ किसी अन्य सेवा तत्व या वित्तीय लाभ की गणना शामिल है, जो किसी ऐसे व्यक्ति को स्वीकार्य हो सकता है जो किसी कारण से विकलांग हो गया हो, जिसे उसकी सेवा शर्तों के कारण माना जा सकता है।

13. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम निम्नानुसार निर्देश देते हैंः

(i) प्रत्यर्थीगण नए सिरे से जांच न्यायालय नियुक्त करेंगे जो याचिकाकर्ता की बीमारी और चिकित्सा स्थिति के कारणों और परिस्थितियों की जांच करेगा।

(ii) जांच न्यायालय याचिकाकर्ता को ऐसा मेडिकल अभिलेख या अन्य साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर भी देगा, जिससे जांच न्यायालय का कार्य आसान हो सके।

(iii) प्रत्यर्थी यह सुनिश्चित करेंगे कि याचिकाकर्ता की प्रासंगिक समय पर स्थिति के संबंध में निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए सभी प्रासंगिक साक्ष्य जांच न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाएं। याचिकाकर्ता की बीमारी और उपचार का पूरा अभिलेख भी जांच न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

(iv) जांच न्यायालय की नियुक्ति आज से तीन सप्ताह के भीतर प्रभावी हो जाएगी।

(v) प्रत्यर्थीगण इस मामले में विशेषज्ञता रखने वाले एक चिकित्सा विशेषज्ञ को जांच न्यायालय के भाग के रूप में तैनात करने पर विचार कर सकते हैं।

(vi) जांच न्यायालय की रिपोर्ट कार्यवाही शुरू होने की तारीख से चार महीने के भीतर प्रस्तुत की जाएगी। इसकी प्रति याचिकाकर्ता को दी जाएगी।

(vii) यदि जांच रिपोर्ट से याचिकाकर्ता असंतुष्ट हो तो उसे विधिक उपाय अपनाने की स्वतंत्रता होगी।

इस रिट याचिका को उपरोक्त शर्तों के साथ स्वीकार किया जाता है। पक्षकारगण को दस्ती की जाए।

न्या. गीता मित्तल

न्या. दीपा शर्मा

23 अक्टूबर, 2013
आरबी

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*

दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

रि.या.(सि.) 8756/2011

निर्णय तिथि: 23 अक्टूबर, 2013

इंद्राज सिंह .....याचिकाकर्ता

के द्वारा: श्री अरुण श्रीवास्तव, अधिवक्ता

बनाम

भारत संघ और अन्य .....प्रत्यर्थीगण

के द्वारा: सुश्री बरखा बब्बर,अधिवक्ता

कोरम:
माननीय न्यायमूर्ति सुश्री गीता मित्तल
माननीय न्यायमूर्ति सुश्री दीपा शर्मा

<u>न्या. गीता मित्तल (मौखिक)</u>

1. इस मामले में याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय से यह निर्देश देने का अनुरोध किया है कि वह एक जांच न्यायालय आयोजित करे, ताकि यह जांच की जा सके कि याचिकाकर्ता की हालत उसकी सेवा शर्तों के कारण है या बिगड़ गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि दिनांक 26 जनवरी, 2001 से 11 फरवरी, 2001 के बीच त्रिपुरा में तैनात होने के दौरान याचिकाकर्ता का इलाज नलकटा स्थित बटालियन मुख्यालय में पीएफ मलेरिया के संदिग्ध मामले के रूप में किया गया था। दिनांक 11 फरवरी, 2001 को छुट्टी मिलने पर उसे दो दिन

आराम करने की सलाह दी गई। याचिकाकर्ता ने हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है कि उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ और दिनांक 20 फरवरी, 2001 को उसने "स्व-उपचार" के लिए 60 दिनों की अर्जित छुट्टी के लिए आवेदन किया था। इस आवेदन को कमांडेंट के साथ-साथ डॉ. बी.एन.दास ने भी संसाधित किया था। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि उसे छुट्टी लेने और किसी अच्छे अस्पताल में इलाज कराने की सलाह दी गई थी, क्योंकि याचिकाकर्ता के पदस्थापन स्थान पर कोई अच्छी सुविधा उपलब्ध नहीं थी। याचिकाकर्ता को यह भी सलाह दी गई थी कि वह अकेले बीमार छुट्टी पर अपने स्टेशन पर न जाए और उसे अपने स्टेशन के किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करने की सलाह दी गई जो उसके साथ उसके घर तक आ सके। उसने हमारे सामने दावा किया है कि जयपुर के रहने वाले हैड कांस्टेबल बुधराम को याचिकाकर्ता ने बुलाया था और वह उसके साथ उसके मूल निवास स्थान तक गया था। याचिकाकर्ता ने कहा कि अर्जित छुट्टी दिनांक 8 मार्च, 2001 को डॉ. बी.एन.दास के हस्तक्षेप के बाद ही मंजूर की गई थी। याचिकाकर्ता का तर्क है कि इन सभी परिस्थितियों से यह स्पष्ट रूप से साबित होता है कि याचिकाकर्ता को बीमारी वास्तविक ड्यूटी के दौरान हुई और जब वह सलाह के अनुसार छुट्टी पर गया तो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी।

2. हैड कांस्टेबल बुधराम के साथ याचिकाकर्ता दिनांक 11 मार्च, 2001 को ही अपने घर पहुँच पाया। बिना किसी देरी के दिनांक 13 मार्च, 2001 को याचिकाकर्ता को एसएमएस अस्पताल, जयपुर ले जाया गया क्योंकि उसे तेज सिरदर्द और रीढ़ की हड्डी में दर्द के साथ-साथ मूत्र मार्ग में रुकावट महसूस हो रही थी। याचिकाकर्ता ने बताया कि वह दो दिनों तक बेहोश रहा और उसके बाद उसके शरीर के निचले आधे हिस्से में लकवा मार गया। उसके बाद भी यह स्थिति बनी रही।

3. दिनांक 19 अप्रैल, 2001 को याचिकाकर्ता की ओर से यूनिट को छुट्टी के लिए आवेदन भेजा गया। दिनांक 6 अगस्त, 2001 को याचिकाकर्ता को जयपुर से लाया गया और दिनांक 6 अक्टूबर, 2002 तक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), दिल्ली में उसका इलाज चला।

4. दिनांक 22 नवंबर, 2005 को याचिकाकर्ता ने अपनी बीमारी के बारे में जांच और सीमा प्रहरी बीमा योजना (एसपीबीवाई) के साथ-साथ हार्ड एरिया एकमुश्त अनुदान के भुगतान के लिए आवेदन किया।

5. दिनांक 14 अगस्त, 2006 को पारित आदेश द्वारा जांच न्यायालय का निर्देश दिया गया था। दिनांक 1 नवंबर, 2006 को उप कमांडेंट श्री एम.पी.एस. राणा द्वारा जांच न्यायालय का संचालन किया गया था।

6. याचिकाकर्ता का कहना है कि यह जांच गलत तरीके से की गई थी और इस अनुमान के आधार पर आगे बढ़ाई गई थी जैसे कि याचिकाकर्ता फुफ्फुसीय तपेदिक से पीड़ित था जो कि गलत था।

7. इस संबंध में, हमारा ध्यान दिनांक 7 मई, 2002 के पत्र के संदर्भ में याचिकाकर्ता की स्थिति के संबंध में डॉ. (प्रो.) डी.एस. माथुर द्वारा प्रस्तुत दिनांक 18 जून, 2002 की रिपोर्ट की ओर आकर्षित किया गया है। रिपोर्ट के अवलोकन से पता चलता है कि डॉ. डी.एस. माथुर ने याचिकाकर्ता की बीमारी को "ट्यूबरकुलर एराक्नोइडाइटिस" के मामले के रूप में निदान किया था। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि याचिकाकर्ता पिछले डेढ़ साल से एंटी ट्यूबरकुलर उपचार पर था।

8. ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्यर्थीगण ने दिनांक 14 अगस्त, 2006 को एक आदेश पारित कर एक अन्य एक सदस्यीय जांच न्यायालय का भी निर्देश दिया था। दिनांक 1 नवंबर, 2006 को श्री एम.पी.एस. राणा, उप कमांडेंट द्वारा ऐसा जांच न्यायालय आयोजित किया गया था।

9. याचिकाकर्ता ने शिकायत की है कि संबंधित डॉक्टर, जिन्होंने उसे पहली बार देखा था, अर्थात् डॉ. बी.एन. दास की जांच नहीं की गई। उन्होंने यह भी बताया कि याचिकाकर्ता के साथ त्रिपुरा से जयपुर आए हैड कांस्टेबल बुधराम की भी जांच नहीं की गई। इन महत्वपूर्ण गवाहों की जांच किए बिना, प्रत्यर्थी

इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि याचिकाकर्ता की बीमारी उसकी सेवा की स्थिति के कारण नहीं थी और उसके कारण जो विकलांगता हुई, वह सरकारी ड्यूटी के दौरान नहीं हुई थी।

10. यह उल्लेखनीय है कि प्रत्यर्थीगण के अनुसार, याचिकाकर्ता ने दिनांक 6 अक्टूबर, 2002 से दिनांक 2 नवंबर, 2004 के बीच कंपोजिट अस्पताल, टेकनपुर में इलाज कराया था। याचिकाकर्ता ने दिनांक 3 जनवरी, 2005 को बटालियन मुख्यालय, 126, बीएसएफ, नलकटा को शारीरिक रूप से रिपोर्ट किया था।

11. जांच न्यायालय की राय में यह दर्ज किया गया है कि इस बात का कोई भौतिक साक्ष्य नहीं है कि उनकी विकलांगता सरकारी ड्यूटी के दौरान हुई थी, इसलिए यह माना गया कि उन्हें सीमा प्रहरी बीमा योजना या हार्ड एरिया एकमुश्त अनुदान का लाभ प्रदान करने का कोई सवाल ही नहीं उठता।

12. तत्काल रिट याचिका में प्रार्थना इस आशय की है कि जांच न्यायालय में चूक को देखते हुए जैसा कि ऊपर देखा गया है और रिट याचिका में उल्लेख किया गया है, प्रतिवादीगण को याचिकाकर्ता को उसके उपचार और बीमारी का अभिलेख पेश करने और महत्वपूर्ण गवाहों की जांच करने के बाद फिर से जांच न्यायालय आयोजित करने का निर्देश दिया जाना चाहिए। हमारा मानना है कि इस तरह की जांच याचिकाकर्ता के दावे पर प्रभावी ढंग से निर्णय लेने के लिए

आवश्यक है, जिसमें पूर्वोक्त राशियों के अनुदान के साथ-साथ किसी अन्य सेवा तत्व या वित्तीय लाभ की गणना शामिल है, जो किसी ऐसे व्यक्ति को स्वीकार्य हो सकता है जो किसी कारण से विकलांग हो गया हो, जिसे उसकी सेवा शर्तों के कारण माना जा सकता है।

13. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम निम्नानुसार निर्देश देते हैंः

(i) प्रत्यर्थीगण नए सिरे से जांच न्यायालय नियुक्त करेंगे जो याचिकाकर्ता की बीमारी और चिकित्सा स्थिति के कारणों और परिस्थितियों की जांच करेगा।

(ii) जांच न्यायालय याचिकाकर्ता को ऐसा मेडिकल अभिलेख या अन्य साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर भी देगा, जिससे जांच न्यायालय का कार्य आसान हो सके।

(iii) प्रत्यर्थी यह सुनिश्चित करेंगे कि याचिकाकर्ता की प्रासंगिक समय पर स्थिति के संबंध में निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए सभी प्रासंगिक साक्ष्य जांच न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाएं। याचिकाकर्ता की बीमारी और उपचार का पूरा अभिलेख भी जांच न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

(iv) जांच न्यायालय की नियुक्ति आज से तीन सप्ताह के भीतर प्रभावी हो जाएगी।

(v) प्रत्यर्थीगण इस मामले में विशेषज्ञता रखने वाले एक चिकित्सा विशेषज्ञ को जांच न्यायालय के भाग के रूप में तैनात करने पर विचार कर सकते हैं।

(vi) जांच न्यायालय की रिपोर्ट कार्यवाही शुरू होने की तारीख से चार महीने के भीतर प्रस्तुत की जाएगी। इसकी प्रति याचिकाकर्ता को दी जाएगी।

(vii) यदि जांच रिपोर्ट से याचिकाकर्ता असंतुष्ट हो तो उसे विधिक उपाय अपनाने की स्वतंत्रता होगी।

इस रिट याचिका को उपरोक्त शर्तों के साथ स्वीकार किया जाता है। पक्षकारगण को दस्ती की जाए।

न्या. गीता मित्तल

न्या. दीपा शर्मा

23 अक्टूबर, 2013
आरबी

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*

दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

रि.या.(सि.) 8756/2011

निर्णय तिथि: 23 अक्टूबर, 2013

इंद्राज सिंह .....याचिकाकर्ता

के द्वारा: श्री अरुण श्रीवास्तव, अधिवक्ता

बनाम

भारत संघ और अन्य .....प्रत्यर्थीगण

के द्वारा: सुश्री बरखा बब्बर,अधिवक्ता

कोरम:
माननीय न्यायमूर्ति सुश्री गीता मित्तल
माननीय न्यायमूर्ति सुश्री दीपा शर्मा

<u>न्या. गीता मित्तल (मौखिक)</u>

1. इस मामले में याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय से यह निर्देश देने का अनुरोध किया है कि वह एक जांच न्यायालय आयोजित करे, ताकि यह जांच की जा सके कि याचिकाकर्ता की हालत उसकी सेवा शर्तों के कारण है या बिगड़ गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि दिनांक 26 जनवरी, 2001 से 11 फरवरी, 2001 के बीच त्रिपुरा में तैनात होने के दौरान याचिकाकर्ता का इलाज नलकटा स्थित बटालियन मुख्यालय में पीएफ मलेरिया के संदिग्ध मामले के रूप में किया गया था। दिनांक 11 फरवरी, 2001 को छुट्टी मिलने पर उसे दो दिन

आराम करने की सलाह दी गई। याचिकाकर्ता ने हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है कि उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ और दिनांक 20 फरवरी, 2001 को उसने "स्व-उपचार" के लिए 60 दिनों की अर्जित छुट्टी के लिए आवेदन किया था। इस आवेदन को कमांडेंट के साथ-साथ डॉ. बी.एन.दास ने भी संसाधित किया था। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि उसे छुट्टी लेने और किसी अच्छे अस्पताल में इलाज कराने की सलाह दी गई थी, क्योंकि याचिकाकर्ता के पदस्थापन स्थान पर कोई अच्छी सुविधा उपलब्ध नहीं थी। याचिकाकर्ता को यह भी सलाह दी गई थी कि वह अकेले बीमार छुट्टी पर अपने स्टेशन पर न जाए और उसे अपने स्टेशन के किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करने की सलाह दी गई जो उसके साथ उसके घर तक आ सके। उसने हमारे सामने दावा किया है कि जयपुर के रहने वाले हैड कांस्टेबल बुधराम को याचिकाकर्ता ने बुलाया था और वह उसके साथ उसके मूल निवास स्थान तक गया था। याचिकाकर्ता ने कहा कि अर्जित छुट्टी दिनांक 8 मार्च, 2001 को डॉ. बी.एन.दास के हस्तक्षेप के बाद ही मंजूर की गई थी। याचिकाकर्ता का तर्क है कि इन सभी परिस्थितियों से यह स्पष्ट रूप से साबित होता है कि याचिकाकर्ता को बीमारी वास्तविक ड्यूटी के दौरान हुई और जब वह सलाह के अनुसार छुट्टी पर गया तो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी।

2. हैड कांस्टेबल बुधराम के साथ याचिकाकर्ता दिनांक 11 मार्च, 2001 को ही अपने घर पहुँच पाया। बिना किसी देरी के दिनांक 13 मार्च, 2001 को याचिकाकर्ता को एसएमएस अस्पताल, जयपुर ले जाया गया क्योंकि उसे तेज सिरदर्द और रीढ़ की हड्डी में दर्द के साथ-साथ मूत्र मार्ग में रुकावट महसूस हो रही थी। याचिकाकर्ता ने बताया कि वह दो दिनों तक बेहोश रहा और उसके बाद उसके शरीर के निचले आधे हिस्से में लकवा मार गया। उसके बाद भी यह स्थिति बनी रही।

3. दिनांक 19 अप्रैल, 2001 को याचिकाकर्ता की ओर से यूनिट को छुट्टी के लिए आवेदन भेजा गया। दिनांक 6 अगस्त, 2001 को याचिकाकर्ता को जयपुर से लाया गया और दिनांक 6 अक्टूबर, 2002 तक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), दिल्ली में उसका इलाज चला।

4. दिनांक 22 नवंबर, 2005 को याचिकाकर्ता ने अपनी बीमारी के बारे में जांच और सीमा प्रहरी बीमा योजना (एसपीबीवाई) के साथ-साथ हार्ड एरिया एकमुश्त अनुदान के भुगतान के लिए आवेदन किया।

5. दिनांक 14 अगस्त, 2006 को पारित आदेश द्वारा जांच न्यायालय का निर्देश दिया गया था। दिनांक 1 नवंबर, 2006 को उप कमांडेंट श्री एम.पी.एस. राणा द्वारा जांच न्यायालय का संचालन किया गया था।

6. याचिकाकर्ता का कहना है कि यह जांच गलत तरीके से की गई थी और इस अनुमान के आधार पर आगे बढ़ाई गई थी जैसे कि याचिकाकर्ता फुफ्फुसीय तपेदिक से पीड़ित था जो कि गलत था।

7. इस संबंध में, हमारा ध्यान दिनांक 7 मई, 2002 के पत्र के संदर्भ में याचिकाकर्ता की स्थिति के संबंध में डॉ. (प्रो.) डी.एस. माथुर द्वारा प्रस्तुत दिनांक 18 जून, 2002 की रिपोर्ट की ओर आकर्षित किया गया है। रिपोर्ट के अवलोकन से पता चलता है कि डॉ. डी.एस. माथुर ने याचिकाकर्ता की बीमारी को "ट्यूबरकुलर एराक्नोइडाइटिस" के मामले के रूप में निदान किया था। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि याचिकाकर्ता पिछले डेढ़ साल से एंटी ट्यूबरकुलर उपचार पर था।

8. ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्यर्थीगण ने दिनांक 14 अगस्त, 2006 को एक आदेश पारित कर एक अन्य एक सदस्यीय जांच न्यायालय का भी निर्देश दिया था। दिनांक 1 नवंबर, 2006 को श्री एम.पी.एस. राणा, उप कमांडेंट द्वारा ऐसा जांच न्यायालय आयोजित किया गया था।

9. याचिकाकर्ता ने शिकायत की है कि संबंधित डॉक्टर, जिन्होंने उसे पहली बार देखा था, अर्थात् डॉ. बी.एन. दास की जांच नहीं की गई। उन्होंने यह भी बताया कि याचिकाकर्ता के साथ त्रिपुरा से जयपुर आए हैड कांस्टेबल बुधराम की भी जांच नहीं की गई। इन महत्वपूर्ण गवाहों की जांच किए बिना, प्रत्यर्थी

इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि याचिकाकर्ता की बीमारी उसकी सेवा की स्थिति के कारण नहीं थी और उसके कारण जो विकलांगता हुई, वह सरकारी ड्यूटी के दौरान नहीं हुई थी।

10. यह उल्लेखनीय है कि प्रत्यर्थीगण के अनुसार, याचिकाकर्ता ने दिनांक 6 अक्टूबर, 2002 से दिनांक 2 नवंबर, 2004 के बीच कंपोजिट अस्पताल, टेकनपुर में इलाज कराया था। याचिकाकर्ता ने दिनांक 3 जनवरी, 2005 को बटालियन मुख्यालय, 126, बीएसएफ, नलकटा को शारीरिक रूप से रिपोर्ट किया था।

11. जांच न्यायालय की राय में यह दर्ज किया गया है कि इस बात का कोई भौतिक साक्ष्य नहीं है कि उनकी विकलांगता सरकारी ड्यूटी के दौरान हुई थी, इसलिए यह माना गया कि उन्हें सीमा प्रहरी बीमा योजना या हार्ड एरिया एकमुश्त अनुदान का लाभ प्रदान करने का कोई सवाल ही नहीं उठता।

12. तत्काल रिट याचिका में प्रार्थना इस आशय की है कि जांच न्यायालय में चूक को देखते हुए जैसा कि ऊपर देखा गया है और रिट याचिका में उल्लेख किया गया है, प्रतिवादीगण को याचिकाकर्ता को उसके उपचार और बीमारी का अभिलेख पेश करने और महत्वपूर्ण गवाहों की जांच करने के बाद फिर से जांच न्यायालय आयोजित करने का निर्देश दिया जाना चाहिए। हमारा मानना है कि इस तरह की जांच याचिकाकर्ता के दावे पर प्रभावी ढंग से निर्णय लेने के लिए

आवश्यक है, जिसमें पूर्वोक्त राशियों के अनुदान के साथ-साथ किसी अन्य सेवा तत्व या वित्तीय लाभ की गणना शामिल है, जो किसी ऐसे व्यक्ति को स्वीकार्य हो सकता है जो किसी कारण से विकलांग हो गया हो, जिसे उसकी सेवा शर्तों के कारण माना जा सकता है।

13. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम निम्नानुसार निर्देश देते हैंः

(i) प्रत्यर्थीगण नए सिरे से जांच न्यायालय नियुक्त करेंगे जो याचिकाकर्ता की बीमारी और चिकित्सा स्थिति के कारणों और परिस्थितियों की जांच करेगा।

(ii) जांच न्यायालय याचिकाकर्ता को ऐसा मेडिकल अभिलेख या अन्य साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर भी देगा, जिससे जांच न्यायालय का कार्य आसान हो सके।

(iii) प्रत्यर्थी यह सुनिश्चित करेंगे कि याचिकाकर्ता की प्रासंगिक समय पर स्थिति के संबंध में निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए सभी प्रासंगिक साक्ष्य जांच न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाएं। याचिकाकर्ता की बीमारी और उपचार का पूरा अभिलेख भी जांच न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

(iv) जांच न्यायालय की नियुक्ति आज से तीन सप्ताह के भीतर प्रभावी हो जाएगी।

(v) प्रत्यर्थीगण इस मामले में विशेषज्ञता रखने वाले एक चिकित्सा विशेषज्ञ को जांच न्यायालय के भाग के रूप में तैनात करने पर विचार कर सकते हैं।

(vi) जांच न्यायालय की रिपोर्ट कार्यवाही शुरू होने की तारीख से चार महीने के भीतर प्रस्तुत की जाएगी। इसकी प्रति याचिकाकर्ता को दी जाएगी।

(vii) यदि जांच रिपोर्ट से याचिकाकर्ता असंतुष्ट हो तो उसे विधिक उपाय अपनाने की स्वतंत्रता होगी।

इस रिट याचिका को उपरोक्त शर्तों के साथ स्वीकार किया जाता है। पक्षकारगण को दस्ती की जाए।

न्या. गीता मित्तल

न्या. दीपा शर्मा

23 अक्टूबर, 2013
आरबी

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*